कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
e-mail : ecmpgwl@hotmail.com

स्थायी परिपत्र क्रमांक आसवनी / 2006–07 / 01

विषय :– **इकाइयों में निर्धारित पंजियों का संधारण।**

आबकारी विभाग के नियंत्रणाधीन देशी एवं विदेशी मदिरा भाण्डागारों, आसवनियों, विदेशी मदिरा निर्माणी इकाईयों (एफ.एल.9 / 9–ए), ब्रूअरी (बी–3 / एफ.एल.9–ए) तथा बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागारों (एफ.एल. 10–ए / 10–बी) पर विभागीय कार्य संधारण से सम्बन्धित अभिलेख / पंजियां संधारित की जाती हैं। निरीक्षणों के दौरान यह बात सामने आई है कि, इन अभिलेखों / पंजियों का संधारण, विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वयं न किया जाकर, वेयरहाउस मैनेजर अथवा इकाई के कर्मचारियों से कराया जा रहा है। यह गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। अतः सुनिश्चित करें कि विभागीय कार्य संधारण से संबंधित समस्त अभिलेख / पंजियां प्रभारी अधिकारी द्वारा स्वयं संधारित की जाये। साथ ही प्रत्येक प्रविष्टि प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित की जाये। पंजियों में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रविष्टियां की जाना, परिलक्षित होने की स्थिति में, सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त विनिर्माणी इकाईयों (डी–1 / बी–3 / एफ.एल–9 इत्यादि) के आवेदनों / प्रतिवेदनों को इकाई के प्रभारी आबकारी अधिकारी अपना नाम अंकित कर, अपने हस्ताक्षरों से अग्रेषित करें। उनके अधीनस्थों के हस्ताक्षर से अग्रेषित प्रतिवेदनो को गम्भीरता से लिया जाकर, सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3. सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण के समय इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखेंगे। उपरोक्त निर्देशों के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण टीप में आवश्यक रूप से उल्लेख करेंगे। निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव पृथक से भेजेंगे।

(टी.धर्माराव)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक–5 (4) / 06 /   ग्वालियर, दिनांक 02.09.2006

प्रति,

1. समस्त उपायुक्त आबकारी /
2. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त /
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी /
4. समस्त प्रभारी अधिकारी

....मध्यप्रदेश, की ओर पालनार्थ।

(टी.धर्माराव)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश